28.8.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई थी। प्रकरण मे बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन मे पाया गया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06-06-16 के विरुद्ध न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महो. चित्तौडगढ मे कि गई थी। जिससे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06-06-16 को अपास्त कर निर्देश दिये गये है कि दोनो पक्षों को सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महो. चित्तौडगढ के आदेश की पालना मे दोनो पक्षो को पुन: सुना जाकर रास्ते के सम्बन्ध मे पुन: पत्र जारी कर मौका रिपोर्ट चाही गई जिसकी पालना मे तहसीलदार बेगू द्वारा रास्ते के सम्बन्ध मे पुन: रिपोर्ट पेश कि गई जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई, वकील विपक्षी द्वारा दौराने बहस मे न्यायिक दृष्टान्त R.R.T. 2016 (1) पृष्ठ 649, व R.R.T. 2014 (1) पृष्ठ 40 प्रस्तुत कि गई। प्रकरण मे प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मे भू.अ.नि. वृत्त हुकराई कि रिपोर्ट के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06-06-16 की पालना मे आ.स. 1035 की दक्षिणी मेड के सहारे व आ.स. 1038 की उत्तरी मेड के सहारे 4 मीटर रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शा मे बिलानाम सरकार दर्ज हो चुका है। जिसके रप.न. 2692/1035

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	रकबा 0.033 हे. व 2693/1038 रकबा 0.037 हे. है। तथा प्रार्थी की आ.स. 1039 पर पहुचने के लिए न्युनतम दूरी का मार्ग है। वैकल्पिक मार्ग आ.स. 1029-1030 मे से विपक्षीगण द्वारा बताया गया परन्तु इस पर एनीकट बना हुआ है एवम् भूमि पर 3-4 फीट पानी भरा हुआ है एवं यह भूमि राजस्व रेकार्ड मे चारागाह दर्ज है एवं प्रार्थी की भूमि से लगती हुई बरसाती पानी की निकासी एनीकट मे करने हेतु ग्रा.प. द्वारा खाई लगाकर नाला बनाया हुआ है। जिससे वैकल्पिक मार्ग अवरूद्ध है। आवागमन संभव नही है। प्रकरण मे दोनो पक्षो को सुना गया एवं प्रकरण मे रास्ते के सम्बन्ध मे पुन: रिपोर्ट मंगवाई गई जो उपरोक्ता अनुसार है। प्रकरण मे रास्ते के सम्बन्ध मे पूर्व की रिपोर्ट मे भी यही तथ्य अंकित है इन्ही तथ्यों के आधार पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता कायम किया गया था। वर्तमान रास्ते के सम्बन्ध मे प्राप्त रिपोर्ट मे भी यही तथ्य है। प्रकरण मे पूर्व के आदेश कि पालना मे रास्ता कायम कर बिलानाम रास्ता कायम किया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे पुन: आदेश जारी करना हम उचित नही समझते है। तहसीलदार बेगू को निर्देश दिये जाते है। आ.स. 2692/1035 रकबा 0.033 हे. व 2693/1038 रकबा 0.037 हे. वर्तमान बिलानाम रास्ता को मौके पर अवरूद्ध किया हुए को हटाया जाकर रास्ता खुलवाया जावे। पत्रावली मे अब और कोई कार्यवाही शेष नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	